



मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेन्सी क्षेत्र, इन्दौर

राज्य वन सेवा परीक्षा- 2014

परीक्षा तिथि 02.08.2015 तथा 03.08.2015

विज्ञापन क्रमांक 04/परीक्षा/2014/30.12.2014

वन विभाग, मध्य प्रदेश शासन

ऑनलाईन आवेदन करने

की अंतिम तिथि 13.02.2015

महत्वपूर्ण

- आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किये जायेंगे। आवेदन पत्र दिनांक 14.01.2015 (दोपहर 12:00) से 13.02.2015 (रात्रि 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर भरे जा सकते हैं।
- आवेदक ऑनलाईन आवेदन पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन पत्रों में दिनांक 20.01.2015 से 15.02.2015 तक त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार सत्र ₹50 त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जायेगा।
- ऑनलाईन आवेदन पत्रों में आवेदक द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/लिंग (महिला/पुरुष)/ शासकीय सेवक) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदन सरसरी तौर पर अमान्य किये जायेंगे तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा।
- इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पद हेतु दो दिवसीय ऑनलाइन परीक्षा दिनांक 02.08.2015 तथा दिनांक 03.08.2015 को इन्दौर, भोपाल, जबलपुर तथा ग्वालियर स्थित निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 10.07.2015 से 31.07.2015 तक www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर उपलब्ध रहेंगे।
- विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनायें तथा परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com एवं रोजगार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा साथ ही अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिये गए E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर E-mail तथा SMS Alert भी प्रेषित किए जाएंगे। अतः आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।

विज्ञापन का प्रकाशन "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र के आगामी अंक में किया जायेगा।

एक - भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के अर्न्तगत सहायक वन संरक्षक (Assistant Conservator of Forest) तथा वन क्षेत्रपाल (Forest Ranger) के स्थायी पदों की भर्ती संयुक्त परीक्षा द्वारा किये जाने के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पदों की वर्गवार संख्या विभाग द्वारा प्रेषित मांगपत्र के अनुसार दर्शाई गयी है :-

पद का नाम	कुल पद	रिक्तियों की वर्गवार संख्या				रिक्तियों में से वर्गवार मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिये आरक्षित पद			
		अना.	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अ.पि.व.	अना.	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अ.पि.व.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सहायक वन संरक्षक	23	14	00	06	03	04	00	02	01
वन क्षेत्रपाल	100	50	16	20	14	15	05	06	04

- टीप- (i) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। किन्तु पदों की संख्या में वृद्धि केवल परीक्षा के परिणाम के पूर्व तक ही की जा सकेगी। पदों में वृद्धि की स्थिति में कोई अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जायेंगे तथा सभी पदों हेतु केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा किया है।
- (ii) किसी भी प्रवर्ग में मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिये आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।
- (iii) सहायक वन संरक्षक तथा वन क्षेत्रपाल के पदों हेतु किसी भी श्रेणी के विकलांग आवेदक आवेदन करने हेतु पात्र नहीं है।

उक्त पद हेतु शारीरिक मापदंड निर्धारित है आवेदक आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वे पद हेतु निर्धारित शारीरिक मापदंड पूरा करते हैं। (देखें विज्ञापन की कड़िका-3)

खे- पद का विवरण-

(अ)	पद का नाम	:	सहायक वन संरक्षक
(ब)	विभाग का नाम	:	मध्यप्रदेश शासन वन विभाग
(स)	श्रेणी	:	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी
(द)	पद स्थिति	:	स्थायी
(इ)	वेतनमान	:	रूपये 15600-39100+5400/-ग्रेड पे तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
(ज)	अर्हता	1	शैक्षणिक:- अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निम्न विषयों में से कम से कम एक के साथ विज्ञान अथवा इंजीनियरिंग में स्नातक (या समकक्ष) होना चाहिये :- प्राकृतिक विज्ञान (भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणि शास्त्र) गणित, सांख्यिकी, भू-विज्ञान, कृषि, पर्यावरण विज्ञान, वानिकी, उद्यानिकी, पशु चिकित्सा विज्ञान (वैटिनरी साइंस), कम्प्यूटर एप्लीकेशन/ साइंस, इंजीनियरिंग (कृषि/रसायन/सिविल/कम्प्यूटर/इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रानिक्स/मैकेनिकल) में स्नातक उपाधि धारण करता हो, या समतुल्य विदेशी अर्हता धारण करता हो, परन्तु विशुद्ध गणित या सांख्यिकी के साथ स्नातक की दशा में उसने हायर सेकेन्ड्री/ मेट्रीकुलेशन या समतुल्य परीक्षा में निम्नलिखित विषयों में से कोई एक विषय लिया हो:- 1. जीव विज्ञान 2. भौतिक शास्त्र 3. रसायन शास्त्र परन्तु अभ्यर्थी को निम्न दो विषय ऐच्छिक विषय के रूप में साथ लेने की पात्रता नहीं होगी :- 1. कृषि एवं कृषि इंजीनियरिंग 2. कृषि तथा पशु पालन (एनिमल हस्बेन्डरी) एवं पशु चिकित्सा विज्ञान (वैटिनरी साइंस) 3. रसायन तथा रसायन इंजीनियरिंग 4. गणित तथा सांख्यिकी 5. इंजीनियरिंग विषयों में- कृषि/ रसायन/ सिविल/ यांत्रिकी/ इलेक्ट्रानिक्स/ इलेक्ट्रिकल/ कम्प्यूटर इंजीनियरिंग में से केवल एक ही विषय लिया जा सकेगा.
		2	प्रशिक्षण :- दो वर्ष की पत्रोपाधि लेने हेतु वन महाविद्यालय देहरादून अथवा शासन द्वारा निर्धारित उसके समकक्ष भारतवर्ष के किसी भी अन्य प्रशिक्षण, वन विद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा दो वर्ष का प्रशिक्षण विभाग में प्राप्त करना होगा एवं नियमानुसार विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
		3	शारीरिक :- बिन्दु चार में उल्लेखित शारीरिक मापदण्ड तथा शारीरिक क्षमता परीक्षण के प्रावधानों को पूर्ण करना होगा।
(फ)	कर्तव्य	:	वानिकी एवं वन्य प्राणी प्रबंधन

(अ)	पद का नाम	:	वन क्षेत्रपाल
(ब)	विभाग का नाम	:	मध्यप्रदेश शासन वन विभाग
(स)	श्रेणी	:	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी
(द)	पद स्थिति	:	स्थायी
(इ)	वेतनमान	:	रूपये 9300-34800+3600/- ग्रेड पे तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
(ज)	अर्हता	1	शैक्षणिक:- उम्मीदवार के पास भारत में मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान/यांत्रिकी/कृषि/वानिकी में स्नातक उपाधि अथवा समतुल्य विदेशी अर्हता होनी चाहिए और उसने स्नातक उपाधि में निम्नलिखित में से कम से कम एक विषय लिया हो- भौतिक शास्त्र/रसायन शास्त्र/प्राणी शास्त्र/वनस्पति शास्त्र/भू-गर्भ शास्त्र /गणित /सांख्यिकी /वानिकी/ कृषि/ उद्यानिकी/ यांत्रिकी (सिविल/ मैकेनिकल /इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रानिक्स/ केमिकल /कंप्यूटर)
		2	प्रशिक्षण :- 18 माह की प्रशिक्षण अवधि होगी। प्रशिक्षण भारतवर्ष के किसी भी वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय में प्राप्त करना होगा।
		3	शारीरिक :- बिन्दु चार में उल्लेखित शारीरिक मापदण्ड तथा शारीरिक क्षमता परीक्षण

के प्रावधानों को पूर्ण करना होगा ।

(फ) कर्तव्य

वन विकास एवं वन सुरक्षा

- टीप- आवेदक के पास उपर्युक्त शैक्षणिक अर्हताएँ, ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक होना चाहिए । आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि के बाद किसी भी दिनांक को उक्त अर्हताएँ अर्जित करने वाले आवेदक उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिये विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे । परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित किए जाने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि आवेदक को पद के योग्य मान लिया गया है । **चयन प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर अयोग्य पाये जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी ।**

तीन- शारीरिक मापदंड (न्यूनतम)-

	पुरुष	महिला
ऊँचाई अनारक्षित, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग	163 से.मी.	150 से.मी.
ऊँचाई अनुसूचित जनजाति	152 से.मी.	145 से.मी.
1. सीने की परिधि	79 से.मी.	74 से.मी.
2. न्यूनतम विस्तार	5 से.मी.	5 से.मी.
3. पूर्ण विस्तारित	84 से.मी.	79 से.मी.
शारीरिक क्षमता परीक्षण-		
चार घंटे पैदल चलना	25 कि.मी.	सहायक वन संरक्षक हेतु : 14 कि.मी. वन क्षेत्रपाल हेतु : 16 कि.मी.

- टीप:- 1 चिकित्सा मंडल द्वारा उम्मीदवारों की ऊँचाई एवं सीने के मापदंड लिये जावेंगे तथा उम्मीदवारों की श्रवण शक्ति, दृष्टि एवं वन विभाग में बाह्य सेवा (आऊट डोर वर्क) हेतु न्यूनतम शारीरिक मापदंड का परीक्षण किया जावेगा ।
- 2 शारीरिक क्षमता परीक्षण राज्य शासन द्वारा साक्षात्कार के पूर्व किया जायेगा ।
(पुरुष आवेदकों को 25 कि.मी. की दूरी चार घंटे में पैदल चलकर तथा महिला आवेदकों को सहायक वन संरक्षक के पद हेतु 14 कि.मी. तथा वन क्षेत्रपाल के पद हेतु 16 कि.मी. की दूरी चार घंटे में पैदल चलकर तय करना होगी)।

- चार- 1 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित पद केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित है। छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य है आरक्षण हेतु पात्र नहीं है । उन्हें अनारक्षित पदों हेतु विचारित किया जायेगा ।
2. मध्यप्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार अपना वर्ग अनारक्षित लिखें ।

पाँच- मध्यप्रदेश सिविल सेवाएँ, (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अर्न्तगत अनर्हता -

- अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।
परन्तु जहां किसी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा ।
- ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा ।
परन्तु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी फ़रवरी 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा ।

छ:- आयु सीमा- 21 की आयु पूर्ण कर ली हो परन्तु 28 वर्ष पूर्ण न की हो ।

आयु संगणना तिथि 01.01.2015 होगी।

आयुसीमा में दी गई अन्य छूटों के लिये परिशिष्ट-1 देखें ।

मध्य प्रदेश शासन के स्थायी/अस्थायी तथा राज्य के निगम, मंडल, परिषद नगर निगम, नगर पालिका आदि स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत समस्त श्रेणी के कर्मचारी तथा नगर सैनिकों हेतु अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी । उपरोक्त रियायत कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में नियोजित कर्मचारियों को भी लागू होगी ।

सात- महत्वपूर्ण-यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि, वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं । अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जाँच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें । ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित किये जाने या साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है । चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर आवेदक की उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी ।

आठ- अधिवाषिकी आयु- 60 वर्ष

परीक्षा- सहायक वन संरक्षक के पद पर आवेदकों की नियुक्ति 04 वर्ष की परीक्षा पर तथा वन क्षेत्रपाल के पद पर आवेदकों की नियुक्ति 02 वर्ष की परीक्षा पर की जायेगी ।

दस- अनुबंध निष्पादन- चयनित उम्मीदवार को प्रशिक्षण संस्थान में जाने से पूर्व विभाग द्वारा निर्धारित अनुबंध निष्पादित करना होगा-

- 1 चयनित अधिकारी बीच में प्रशिक्षण छोड़ता है तो प्रशिक्षण पर होने वाला समस्त व्यय चयनित अधिकारी को राज्य सरकार को देना होगा ।
- 2 प्रशिक्षण उपरान्त विभाग में सहायक वन संरक्षक एवं वन क्षेत्रपाल के पद पर नियुक्ति प्राप्त हो जाने पर चयनित अधिकारी को विभाग में 5 वर्ष सेवा करना अनिवार्य होगा ।

ग्यारह- चयन प्रक्रिया-

चयन प्रक्रिया के चार कम्पक चरण होंगे-

- (अ) अनिवार्य एवं ऐच्छिक विषयों की ऑनलाइन परीक्षा- लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश द्वारा ।
- (ब) शारीरिक क्षमता परीक्षण-राज्य शासन द्वारा (पुरुष आवेदकों को 25 कि.मी. की दूरी चार घंटे में पैदल चलकर तथा महिला आवेदकों को सहायक वन संरक्षक के पद हेतु 14 कि.मी. तथा वन क्षेत्रपाल के पद हेतु 16 कि.मी. की दूरी चार घंटों में पैदल चलकर तय करना होगी)
- (स) साक्षात्कार- लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश द्वारा ।
- (द) स्वास्थ्य परीक्षण- राज्य शासन के चिकित्सा मंडल द्वारा ।

(अ) ऑनलाइन परीक्षा - ऑनलाइन परीक्षा में एक प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान का तथा दो प्रश्न पत्र ऐच्छिक विषयों के होंगे । सभी प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे । अनिवार्य प्रश्नपत्र का विन्यास तथा ऐच्छिक विषयों का विवरण निम्नानुसार है :-

(1) सामान्य ज्ञान का अनिवार्य प्रश्न पत्र (दोनों पदों के लिए)

	प्रश्न संख्या	अंक	समयावधि
सामान्य अध्ययन	40	80	2 घंटे
म.प्र. का सामान्य परिचय	35	70	
प्रारंभिक गणित	35	70	
सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिन्दी (20+20)	40	80	
कुल	150	300	

(2) ऐच्छिक प्रश्न पत्र के विषय-

आवेदकों को निम्न विषयों में से 2 विषय वैकल्पिक विषय के रूप में चुनना होगा ।

विषय कोड	विषय	प्रश्न संख्या	पूर्णांक	समयावधि (घंटे)
01	वनस्पति शास्त्र	150	300	2
02	प्राणि विज्ञान	150	300	2
03	भौतिक शास्त्र	150	300	2
04	रसायन शास्त्र	150	300	2
05	गणित	150	300	2
06	भू-गर्भ शास्त्र	150	300	2
07	कृषि	150	300	2
08	सांख्यिकी	150	300	2
09	वानिकी	150	300	2
10	सिविल इंजीनियरिंग	150	300	2
11	मैकेनिकल इंजीनियरिंग	150	300	2
12	केमिकल इंजीनियरिंग	150	300	2
13	कम्प्यूटर साइंस/इंजीनियरिंग	150	300	2
14	इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग	150	300	2
15	इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग	150	300	2
16	कृषि इंजीनियरिंग	150	300	2
17	उद्यानिकी	150	300	2
18	पर्यावरण विज्ञान	150	300	2
19	पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान	150	300	2

निम्न वैकल्पिक विषय एक साथ नहीं लिए जा सकेंगे :-

- (1) कृषि तथा कृषि इंजीनियरिंग
- (2) कृषि तथा पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान
- (3) रसायन शास्त्र तथा केमिकल इंजीनियरिंग

(4) गणित तथा सांख्यिकी

(5) इंजीनियरिंग विषयों (कोड क्रमांक 10 से 16) में केवल एक विषय वैकल्पिक विषय के रूप में लिया जा सकेगा।

आवेदक वैकल्पिक विषयों का चयन सावधानीपूर्वक करें। किसी भी स्थिति में विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी।

:: महत्वपूर्ण सूचना ::

परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम यथा समय आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर प्रकाशित की जाएगी।

उत्तीर्णांक :

ऑनलाइन परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु आवेदक को प्रत्येक प्रश्नपत्र में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। म.प्र. के मूल निवासी तथा म.प्र. हेतु अधिसूचित अनु. जाति, अनु. जनजाति तथा अ.पि.वर्ग के आवेदकों को 10 प्रतिशत अंकों की छूट दी जावेगी तथा उन्हें ऑनलाइन परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर गुणानुक्रम में विभिन्न प्रवर्गों से भरी जाने वाली कुल रिक्तियों की संख्या के तीन गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले आवेदकों को शारीरिक क्षमता परीक्षण तथा साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किये जायेंगे। शारीरिक क्षमता परीक्षण साक्षात्कार के पूर्व होगा।

टीप:- वानिकी तथा इंजीनियरिंग विषयों (कोड क्रमांक 09 से 16) के ऐच्छिक विषयों के प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी माध्यम में होंगे अन्य सभी ऐच्छिक विषयों तथा अनिवार्य विषय के प्रश्न पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी माध्यम में होंगे।

ऑनलाइन परीक्षा परिणाम के संदर्भ में आवश्यक निर्देश :-

प्रारम्भिक परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के आदर्श उत्तरों की कुंजी तैयार कर, जिसके आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा, आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर प्रकाशित कर आपत्तियां प्राप्त की जायेंगी।

प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार कर निम्नलिखित अनुसार कार्यवाही की जायेगी:-

1. ऐसे प्रश्न जिनका आदर्श कुंजी में गलत उत्तर दिया गया है और प्रश्न के वैकल्पिक उत्तरों में दूसरा सही उत्तर उपलब्ध है तब आदर्श कुंजी को संशोधित किया जायेगा।
2. आपत्तियों के आधार पर निम्नलिखित अनुसार पाये गये प्रश्नों को प्रश्नपत्र से विलोपित किया जायेगा :-
 - (अ) ऐसे प्रश्न जिसका दिये गये विकल्पों में सही उत्तर न हो।
 - (आ) ऐसे प्रश्न जिसका दिये गये विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर हों।

समिति द्वारा विलोपित किए गये प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों के आधार पर अभ्यर्थियों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा।

(ब) शारीरिक क्षमता परीक्षण -

पुरुष आवेदकों को 25 कि.मी. की दूरी चार घंटे में पैदल चलकर तथा महिला आवेदकों को सहायक वन संरक्षक के पद हेतु 14 कि.मी. तथा वन क्षेत्रपाल के पद हेतु 16 कि.मी. की दूरी चार घंटों में पैदल चलकर तय करना होगी।

(स) साक्षात्कार-

ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्तियों के आधार पर गुणानुक्रम में प्रत्येक श्रेणी के आवेदकों को पदों की संख्या के तीन गुना के अनुपात में साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए पूर्णांक 100 निर्धारित है। साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिये अनर्ह माना जायेगा। साक्षात्कार के लिये आवेदकों को बुलाने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

चयन विधि :-

- (1) आवेदक सहायक वन संरक्षक तथा वन क्षेत्रपाल में से किसी एक पद के लिये अथवा दोनों पदों के लिये आवेदन कर सकेंगे। आवेदक इस विज्ञापन में दर्शित अर्हता का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर यह सुनिश्चित कर लें कि वे पद हेतु निर्धारित अर्हता धारित करते हैं। तत्पश्चात ही आवेदन करें।
- (2) ऑनलाइन आवेदन पत्र में पद चयन हेतु तीन विकल्प है (A) सहायक वन संरक्षक हेतु (B) वन क्षेत्रपाल हेतु तथा (C) दोनों पदों हेतु। दोनों पदों हेतु वे आवेदक ही आवेदन करें जो दोनों पदों हेतु निर्धारित अर्हता धारित करते हों।
- (3) आवेदक को ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के बाद मिलने वाली रसीद में उसका आवेदन पत्र क्रमांक अंकित होगा जिसका प्रथम दो अक्षर उसके द्वारा भरे गये पद विकल्प के आधार पर FA, FB या FC होगा। आवेदक को रोल नंबर आबंटित करते समय भी उसके रोल नंबर का प्रथम अक्षर उसके द्वारा भरे गये पद विकल्प के आधार पर A, B या C होगा।
- (4) ऑनलाइन परीक्षा संयुक्त रूप से होगी तथा ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर A तथा C श्रेणी के आवेदकों की मैरिट सूची निर्मित कि जायेगी जिसके गुणानुक्रम के आधार पर सहायक वन संरक्षक के पद हेतु विभिन्न श्रेणियों में विज्ञापित पदों के तीन गुना तथा समान अंक पाने वाले आवेदकों को शारीरिक क्षमता परीक्षण तथा साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। समान रीति से B तथा C श्रेणी के आवेदकों की मैरिट सूची निर्मित कर उन्हें वन क्षेत्रपाल के पद हेतु विभिन्न श्रेणियों में विज्ञापित पदों के तीन गुना तथा समान अंक पाने वाले आवेदकों को शारीरिक क्षमता परीक्षण तथा साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। शारीरिक क्षमता परीक्षण साक्षात्कार के पूर्व होगा तथा इसमें अयोग्य पाये गये अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु पात्र नहीं होंगे।
- (5) साक्षात्कार के पश्चात अंतिम मैरिट सूची A + C (सहायक वन संरक्षक) तथा B + C (वन क्षेत्रपाल) के आधार पर बनाई जायेगी। A + C (सहायक वन संरक्षक) का चयन परिणाम बनाने के बाद उसमें चयन हेतु सफल उम्मीदवारों के अतिरिक्त C श्रेणी के जो आवेदक होंगे वे वन क्षेत्रपाल के पद हेतु भी विचारित किये जायेंगे।

चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/ लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

(द) स्वास्थ्य परीक्षण –

चिकित्सा मंडल द्वारा उम्मीदवारों की ऊंचाई एवं सीने के मापदंड लिये जावेंगे तथा उम्मीदवारों की श्रवण शक्ति, दृष्टि एवं वन विभाग में बाह्य सेवा (आऊट डोर वर्क) हेतु न्यूनतम शारीरिक मापदंड का परीक्षण किया जावेगा।

बारह- ऑनलाइन परीक्षा की तिथि- दो दिवसीय ऑनलाइन परीक्षा दिनांक **02.08.2015** तथा दिनांक **03.08.2015** को आयोजित की जायेगी

तेरह- ऑनलाइन परीक्षा के शहर – ऑनलाइन परीक्षा निम्न शहरों में आयोजित की जाएगी :-

परीक्षा शहर कोड	शहर
01	इन्दौर
02	भोपाल
03	ग्वालियर
04	जबलपुर

अभ्यर्थी उक्त शहरों में से उनकी अग्रमान्यता क्रम में चारों शहर चुन सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि आवेदक द्वारा चयनित अग्रमान्यता अनुसार ही शहर आबंटित किए जायें। आयोग प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से चयनित अग्रमान्यता क्रम से अलग शहर आबंटित कर सकता है तथा शहरों की संख्या कम या अधिक कर सकता है।

प्रश्नपत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि के संदर्भ में आवेदक परीक्षा तिथि के 15 दिवस पश्चात तक ऑनलाइन अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। उक्त अवधि के बाद प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

महत्वपूर्ण:-

आयोग में परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

चौदह- आवेदन प्रक्रिया- उक्त पद हेतु आवेदन पत्र मात्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट-2 का अवलोकन करें।

पन्द्रह- प्रवेश पत्र प्राप्ति प्रक्रिया- परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 10.07.2015 (दोपहर 12.00 बजे) से 31.07.2015 (रात्रि 12.00 बजे) तक www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर उपलब्ध रहेंगे। अर्हताधारी आवेदक अपने प्रवेश-पत्र उक्त वेबसाइटों से डाउनलोड कर सकेंगे, पृथक से प्रवेश पत्र नहीं भेजे जायेंगे। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने हेतु आवेदक को वेबसाइट में विहित स्थान पर उसके आवेदन पत्र क्रमांक तथा जन्म तिथि की प्रविष्टि करनी होगी।

एम. पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से प्रवेश पत्र प्राप्ति हेतु 5 रुपये पोर्टल शुल्क देय होगा।

सोलह- अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित वर्तमान ई-मेल आई.डी. पर ही आयोग द्वारा आवश्यक पत्र-व्यवहार किया जाएगा। अभ्यर्थी के ई-मेल आई. डी. में परिवर्तन की दशा में अभ्यर्थी को तत्काल नये ई-मेल आई.डी. की सूचना आयोग को आवश्यक पत्र व्यवहार हेतु लिखित में देनी होगी। अभ्यर्थी द्वारा ई-मेल आई. डी. परिवर्तन की स्थिति में नये ई-मेल आई. डी. की सूचना न देने पर आवश्यक पत्रव्यवहार पुराने ई-मेल आई. डी. पर ही किया जाएगा जिसके फलस्वरूप आवेदक को सूचना प्राप्त न होने की स्थिति हेतु अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस संदर्भ में आवेदक का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदक अपने वर्तमान डाक पते में परिवर्तन के संबंध में भी आयोग को तत्काल लिखित में सूचना प्रेषित करें।

सत्रह- आवेदक विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें -

- आयु सीमा की छूटें **परिशिष्ट-एक**
- आवेदन पत्र भरने तथा अन्य निर्देश एवं जानकारीयां **परिशिष्ट-दो**

(एक) उच्चतम आयु सीमा में छूट

- (1) भारत शासन द्वारा मध्यप्रदेश के लिये अधिसूचित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी ।
- (2) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 के नियम 4 के अनुसार समस्त महिला अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जावेगी । यह छूट आरक्षित वर्ग की आवेदिकाओं तथा विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं को उन्हे देय 05 वर्ष की छूट के अतिरिक्त होगी । किन्तु सभी प्रवर्ग की महिलाओं हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी ।
- (4) मध्य प्रदेश शासन के स्थायी/अस्थायी तथा राज्य के निगम, मंडल, परिषद नगर निगम, नगर पालिका आदि स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत समस्त श्रेणी के कर्मचारी तथा नगर सैनिकों हेतु अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी । उपरोक्त रियायत कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में नियोजित कर्मचारियों को भी लागू होगी ।

विभिन्न प्रवर्गों को देय छूट का विवरण		
1	पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	28 वर्ष
2	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) (28+5)	33 वर्ष
3	पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग- शासकीय/निगम/मंडल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	38 वर्ष
4	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग- शासकीय/ निगम/मंडल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	38 वर्ष
5	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग) (28+10)	38 वर्ष
6	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) (28+10+5)	43 वर्ष
7	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा) (28+10+5)	43 वर्ष
8	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा)	45 वर्ष
9	महिला आवेदक (शासकीय/निगम/मंडल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	38 वर्ष
सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुये किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिये अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		

- (5) सा.प्र.वि. के ज्ञापन क्रमांक सी-124-तीन/आर-88/1(11-1)66 दिनांक 1.1.1963 के बाद में नेशनल क्रेडिट कोर में पूर्णकालिक अनुदेशक के रूप में भर्ती हुए हो तथा उसके प्रारंभिक बड़े हुए कार्यकाल के बाद सेवा मुक्त हुए हो, ऐसे आवेदकों हेतु उनकी पिछली सेवा अवधि घटायी जा सकेगी परंतु परिणाम स्वरूप निकलने वाली आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो ।
- (6) ऐसा अभ्यर्थी, जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि (भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवा का योग हो) कम कराने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु इसके परिणाम स्वरूप उसकी आयु निर्धारित आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये ।

स्पष्टीकरण-

छंटनी किये गये सरकारी सेवक से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य या किसी भी संगठक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में लगातार कम से कम छः मास तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो ।

- (7) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, किंतु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले यह उच्चतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये ।

स्पष्टीकरण-

मध्य प्रदेश भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण)नियम 1985 के नियम 2 (ग) के अनुसार

"2. (ग) भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसने संघ के सशस्त्र बलों में जिसमें भूतपूर्व भारतीय रियासतों के संयुक्त सशस्त्र बल भी सम्मिलित है, किसी भी रैंक (लड़ाकू या गैर लड़ाकू) में कम से कम लगातार छः मास की कालावधि तक सेवा की हो और

(एक) जिसे स्वयं के निवेदन पर या अवचार या अक्षमता के कारण पदच्युत या सेवोन्मुक्त किये जाने से अन्यथा निर्मुक्त किया गया हो या ऐसी निर्मुक्ति के लंबित रहने तक रिजर्व में अंतरित किया गया हो, या

(दो) जिसे उपरोक्तानुसार निर्मुक्त या अंतरित किये जाने का हकदार होने के लिये अपेक्षित सेवा की कालावधि पूरी करने हेतु छः मास से अनधिक अवधि के लिये सेवा करनी पड़ी हो ।

(तीन) जिसे संघ के सशस्त्र बल में पांच वर्ष की सेवा पूरा करने के पश्चात स्वयं के निवेदन पर निर्मुक्त किया गया हो ।"

टीप:- भूतपूर्व सैनिक की उक्त परिभाषा "मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी पदों पर आरक्षण) नियम 1985" के संशोधनों के अधधीन रहेगी।

(दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गई छूट

- (1) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अर्न्तगत ग्रीनकार्डधारी आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3-40/आ/84/(3) 1, दिनांक 11 जनवरी, 1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी जायेगी।
- (2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह योजना के अर्न्तगत पुरस्कृत दंपतियों के सर्वर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.6.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट दी जायेगी।
- (3) विक्रम अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/8/85/ 3/1, दिनांक 3 सितम्बर, 1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट दी जावेगी।

- टीप—
- (1) परिशिष्ट-1 (दो) के अर्न्तगत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अर्न्तगत दी गई छूटों में से यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिये देय छूट मिलेगी।
 - (2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में है अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों तथा महिला आवेदकों को देय आरक्षण एवं आयु सीमा की छूट, केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होंगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के आवेदक अनारक्षित मान्य होंगे।
(सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

- नोट—
- (1) उपरोक्त परिशिष्ट-1 (एक) (1 से 4) परिशिष्ट-1 (दो) (1 से 3) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।
 - (2) आवेदकों को उपरोक्त सभी छूट देय होगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुये भी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात् जिन आवेदकों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वे आवेदक आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे।

ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. राज्य वन सेवा परीक्षा 2014 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार है -

- ऑनलाइन आवेदन पत्र वेबसाइट पर www.mponline.gov.in, www.mppsc.com, www.mppsc.nic.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है। आवेदक mponline के स्थापित अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से ऑनलाइन फार्म भरकर कियोस्क पर ही परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं।
- उपरोक्त व्यवस्था के अतिरिक्त आवेदक निम्न माध्यमों से भी शुल्क भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं
 - स्वयं अपने घर पर या इंटरनेट कैंफे के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड (Mastercard or VISA) के माध्यम से कर सकते हैं।
 - ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान भारतीय स्टेट बैंक तथा यूनियन बैंक के माध्यम से इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं।
- Mponline के अधिकृत कियोस्कों की सूची www.mponline.gov.in, www.mppsc.com, www.mppsc.nic.in पर पता एवं फोन नंबर सहित उपलब्ध है।
- आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व अपने अद्यतन पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर की स्कैन फाइल तैयार रखें जिसे उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। www.mponline.gov.in के KIOSK पर स्कैनिंग की निः शुल्क सुविधा उपलब्ध है जिसका उपयोग किया जा सकता है।
- ऑन लाईन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिये गये ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरे।
- ऑन लाईन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी में दिये गये निर्धारित स्थान पर सही पूर्णांक, प्राप्तांक, उत्तीर्ण करने का वर्ष, औसत प्रतिशत एवं अन्य जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गयी है को सही रूप से अंकित करें।
- आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित की जा रही है वही प्रमाणिक जानकारी है अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र Submit करने के पूर्व आवेदक अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भलीभाँति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गई जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात् ही आवेदन Submit करें।
- आवेदन पत्र Submit करने के बाद खुलने वाले Pop up Window में आवेदक को उसका आवेदन पत्र मिलेगा, जिसमें उसके द्वारा जमा किये गये ऑनलाइन शुल्क, **Transition ID** तथा आवेदन पत्र क्रमांक का भी उल्लेख होगा। उक्त आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट कियोस्क द्वारा आवेदक को निःशुल्क प्रदान किया जायेगा। आवेदक उक्त आवेदन पत्र अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।
- त्रुटि सुधार सुविधा :-** आवेदक अपना आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक 20.01.2015 से 15.02.2015 तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र ₹ 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा स्वयं अथवा कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये नस्तीबद्ध किया जायेगा। एक से अधिक आवेदन पत्र की स्थिति में अतिरिक्त आवेदन पत्रों हेतु जमा शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।

ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरी गयी श्रेणी/ वर्ग (अनारक्षित/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)/ लिंग (महिला/पुरुष) एवं शासकीय सेवक आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/ वर्ग परिवर्तन विषयक कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये नस्तीबद्ध किया जायेगा।
- आवेदक उक्त आवेदन पत्र को सुरक्षित रखें। आवेदन पत्र में अंकित आवेदन पत्र क्रमांक व जन्म दिनांक की प्रविष्टि कर इन्टरनेट के माध्यम से वे प्रवेश पत्र डाउनलोड कर प्रिंट आउट ले सकेंगे।

ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए निर्देश और विधि

- कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें। आवेदन पत्र दिनांक 14.01.2015 को दोपहर 12.00 बजे से दिनांक 13.02.2015 को रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाइन भरे जा सकते हैं।
- आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 20.01.2015 को दोपहर 12.00 बजे से दिनांक 15.02.2015 को रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाइन किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार सत्र, ₹ 50/- त्रुटि सुधार शुल्क के

भुगतान के पश्चात आवेदन पत्र में वांछित सुधार किया जा सकेगा।

3. श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गये अपने आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग करने की मांग की जाती है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गये आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जावेगी।
4. आवेदन एवं परीक्षा शुल्क:-

मप्र के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क	शेष सभी श्रेणी एवं मध्य प्रदेश से बाहर के निवासी आवेदकों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क
₹ 1000/-	₹ 2000/-
सभी श्रेणी के आवेदकों को उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क ₹ 40/- (सेवाकर सहित) अतिरिक्त देय होगा	

आवेदन एवं परीक्षा शुल्क एवं पोर्टल के शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य कोई राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्कधारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो एमपीऑनलाइन के निम्न दूरभाष नंबरों पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

फोन (0755) दूरभाष क्रमांक (0755) 4019401-4019406, काल सेंटर- 155343 (टोल फ्री)
तकनीकी समस्या के लिए : बिनोय एम. जॉर्ज (0755) 4019410

5. ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी:-

मप्र लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित **राज्य वन सेवा परीक्षा 2014** के लिए आवेदन पत्र वेबसाइट <https://www.mponline.gov.in>, www.mppsc.nic.in एवं www.mppsc.com पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। आवेदक परीक्षा फार्म ऑनलाइन भरकर परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान मध्य प्रदेश राज्य के जिला, तहसील एवं ब्लाक एवं कुछ ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से किया जा सकता है। एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों की सूची के लिए <https://www.mponline.gov.in> पर Authorized Kiosk list Link देखें। आवेदक काल सेंटर के दूरभाष क्रमांक 18002335343 तथा 155343 (टोल फ्री) से भी एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की जानकारी प्राप्त कर सकता है।

6. परीक्षा दिनांक:- 02.08.2015 तथा 03.08.2015

7. इंटरनेट कैफे या स्वयं घर बैठे कम्प्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आवेदन फार्म / परीक्षा शुल्क भरने की विधि:-

आवेदक <https://www.mponline.gov.in> वेबसाइट के माध्यम से **होम पेज** पर



क्लिक करें इसके उपरांत Application लिंक पर जाकर यहां तीन आप्शन दिखाई देंगे।



बटन को क्लिक करें। अब उसे

[Click here to Open Application Form](#)

[Pay for unpaid Application](#)

[Click here to view advertisement](#)

आवेदक इंटरनेट कैफे के माध्यम से या घर बैठे स्वयं भी अपना फार्म भर सकता है। आवेदक फार्म भरने से पहले [Click here to view advertisement](#) को क्लिक कर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें। इसके उपरांत ही आवेदक [Click here to Open Application Form](#) को क्लिक करें। इसके उपरांत आवेदक को स्क्रीन पर फार्म दिखाई देगा। आवेदक को फार्म में मांगी गई समस्त जानकारियां को सही-सही भरना अनिवार्य है। आवेदक को फार्म पृष्ठ पर नीचे की ओर एक बटन Browse दिखाई देगा। इसमें आवेदक को अपना फोटो-हस्ताक्षर सहित अप्लोड करना है। इस बटन के नीचे आवेदक को फोटो-हस्ताक्षर के **(प्रारूप हेतु इस लिंक पर क्लिक करें Link)** दिखाई देगी। **Link** को क्लिक करने पर फोटो हस्ताक्षर के फार्मेट का प्रिंट लेकर उचित स्थान पर फोटो चिपकाकर उसके नीचे हस्ताक्षर करें। इसके उपरांत उक्त फार्मेट को स्कैन कर jpg या gif फार्मेट में ही सेव करें। अब आवेदक Browse बटन क्लिक करें इसके उपरांत जिस डायरेक्ट्री में आवेदक ने अपना फोटो

हस्ताक्षर स्कैन कर सेव किया है। उस डायरेक्ट्री से अपना फोटो-हस्ताक्षर सिलेक्ट कर अटैच करे। आवेदक फार्म को पूर्ण रूप से भरने के बाद उसे अच्छी तरह पढ़ लें और यह सुनिश्चित कर ले कि फार्म में जो भी जानकारी भरी गई है वह सही है। यदि फार्म में कोई गलत जानकारी भर दी गई है तो पुनः उसे ठीक कर लें। इसके उपरांत ही Submit बटन दबाए। इससे आवेदक को एक आवेदन फार्म नंबर प्राप्त होगा। इसके उपरांत आवेदक परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए Proceed to Payment बटन दबाएगा तो उसे परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु दो ऑप्शन दिखाई देंगे:-

1. क्रेडिट कार्ड।

2. इंटरनेट बैंकिंग।

1. **क्रेडिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान:-** आवेदक किसी भी इंटरनेट कैफे या घर बैठे भी स्वयं इंटरनेट के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फार्म भर सकता है। फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदक द्वारा फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिए Proceed to Payment बटन दबाने पर कम्प्यूटर स्क्रीन पर आईसीआईसीआई बैंक का पेमेंट गेटवे दिखाई देगा। इसमें क्रेडिट कार्ड का विवरण भरने के उपरांत कन्फर्म बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। आवेदक को परीक्षा शुल्क भुगतान प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद कम्प्यूटराइज्ड रसीद प्राप्त होगी। जिस पर उसकी ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारी भी अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को संभालकर रखें।

2. **इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान:-** आवेदक चाहे तो स्वयं घर बैठे इंटरनेट या इंटरनेट कैफे के माध्यम से फार्म भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग सुविधा से कर सकता है। इसके लिए आवेदक के पास स्टेट बैंक आफ इंडिया अथवा यूनियन बैंक आफ इंडिया की नेटबैंकिंग सुविधा होना अनिवार्य है। आवेदक फार्म भरने के उपरांत Proceed to Payment बटन दबाएगा यहां पर उसे इंटरनेट बैंकिंग ऑप्शन दिखाई देगा। इसे क्लिक करने पर वह अपने बैंक द्वारा प्रदान यूजर आईजी पासवर्ड डालकर लागिन होगा। इस प्रक्रिया से आवेदक अपने बैंक एकाउंट से शुल्क का भुगतान कर सकता है। सफलतापूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आवेदक को स्क्रीन पर पावती नंबर और आवेदक का विवरण दिखाई देगा। इसका प्रिंट लेकर अवश्य लें।

8- एमपीऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म / परीक्षा शुल्क भरने की विधि:-

आवेदक आवेदन फार्म भरने के लिए अपने नजदीकी एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जावेगा। कियोस्क संचालक <https://www.mponline.gov.in> वेबसाइट ओपन कर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लागिन टाइप में कियोस्क सिलेक्ट कर लागिन करेगा। इसके उपरांत सर्विसेज में जाकर एप्लीकेशन में MPPSC सिलेक्ट कर सर्वप्रथम फार्म भरने संबंधी निर्देश और जानकारियां आवेदक को उपलब्ध कराएगा। आवेदक इन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ ले ताकि मांगी गई समस्त जानकारियां फार्म में सही भरी जा सकें। इसके उपरांत आवेदक कियोस्क संचालक को अपनी समस्त जानकारी उपलब्ध कराकर फार्म भरवा लें एवं साथ में अपना पासपोर्ट साइज का फोटो अवश्य ले जावे। कियोस्क आवेदक का फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर उचित स्थान पर अटैच करेगा। फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां अच्छी तरह पढ़ लें। आवेदक सभी जानकारियां सही-सही भरी होने के उपरांत ही कियोस्क संचालक को Proceed to Payment बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान करने का कहे। कियोस्क संचालक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर दो पृष्ठीय कम्प्यूटराइज्ड रसीद आवेदक को प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क और पोर्टल शुल्क की पूरी जानकारी अंकित रहेगी। साथ ही आवेदक से संबंधित पूर्ण जानकारी भी रसीद में अंकित होगी।

आवेदक इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लें और तथा अपने पास संभालकर रखें।

जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

9- यदि आवेदक के पास क्रेडिट कार्ड या नेटबैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है तो भरे गये फार्म का कियोस्क के माध्यम से **Pay for unpaid Application** लिंक द्वारा परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर सकता है:-

इसके लिए आवेदक को उपरोक्त बताये गये बिन्दु में दर्शाई गई विधि अनुसार फार्म भरने के उपरांत अपने नजदीक में स्थापित एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जाकर भरे गये फार्म का आवेदन क्रमांक एवं अपनी जन्मतिथि कियोस्क संचालक को बताना होगा। इसके उपरांत कियोस्क संचालक **Pay for unpaid Application** में उक्त जानकारियां भरकर फार्म ओपन कर लेगा। इसके उपरांत Proceed to Payment बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देगा। शुल्क भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्क संचालक आवेदक को दो पृष्ठीय

कम्प्यूटराइज्ड रसीद प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क और पोर्टल शुल्क की जानकारी के साथ आवेदक से संबंधित समस्त जानकारी अंकित होगी।

- आवेदकों से निवेदन है कि “ऑनलाइन आवेदन” की पावती पृष्ठ की प्रति भविष्य के लिए संभाल कर रखे।
- ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर मप्र लोक सेवा आयोग द्वारा या एमपीऑनलाइन के पास डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। परीक्षा शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर इन्हें मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जावेगा और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जावेगी।

नोट:- यदि आपको ऑनलाइन फॉर्म में भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाए गए दूरभाष नंबरों पर तत्काल संपर्क करें।

मप्र लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी क्षेत्र, इंदौर

फोन (0731) 2701624, 2701983

एमपीऑनलाइन लिमिटेड

निरुपम शापिंग मॉल

द्वितीय तल, अहमदपुर,

होशंगाबाद रोड, भोपाल-422026

फोन (0755) दूरभाष क्रमांक (0755) 4019401-4019406, काल सेंटर- 155343 (टोल फ्री)
तकनीकी समस्या के लिए : बिनोय एम. जॉर्ज (0755) 4019410

टीप. आयोग को प्राप्त शुल्क केवल निम्न परिस्थितियों में ही आवेदक को वापस किया जायेगा :-

- 01 आयोग द्वारा विज्ञापित विज्ञापन निरस्त हो जाये अथवा
- 02 किसी कारण से परीक्षा या चयन की कार्यवाही निरस्त कर दी जाये ।

2. अन्य निर्देश/जानकारी :-

1. परीक्षा में आवेदक का प्रवेश पूर्णतः प्रावधिक है, क्योंकि आयोग ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ कोई भी प्रमाण पत्र यथा शैक्षणिक योग्यता/जन्मतिथि/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/मूल निवासी प्रमाण पत्र/विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा/भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र आदि नहीं मांग रहा है अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न न करें । समस्त प्रमाण पत्र परीक्षा में सफल आवेदकों द्वारा साक्षात्कार के पूर्व तथा अनुप्रमाणन फॉर्म के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा जिसके परीक्षण उपरांत आवेदक की अर्हता (eligibility) की जाँच की जाएगी ।
2. आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी ।
3. आवेदक को आयोग से पत्राचार करते समय अपना पूरा नाम, श्रेणी, परीक्षा का नाम, पंजीयन क्रमांक, अनुक्रमिक परीक्षा केन्द्र तथा पूर्ण पता लिखना चाहिए ।
4. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित वर्तमान ई-मेल आई.डी. पर ही आयोग द्वारा आवश्यक पत्र-व्यवहार किया जाएगा । अभ्यर्थी के ई-मेल आई. डी. में परिवर्तन की दशा में अभ्यर्थी को तत्काल नये ई-मेल आई.डी. की सूचना आयोग को आवश्यक पत्र व्यवहार हेतु लिखित में देनी होगी। अभ्यर्थी द्वारा ई-मेल आई. डी. परिवर्तन की स्थिति में नये ई-मेल आई. डी. की सूचना न देने पर आवश्यक पत्रव्यवहार पुराने ई-मेल आई. डी. पर ही किया जाएगा जिसके फलस्वरूप आवेदक को पत्रादि प्राप्त न होने की स्थिति हेतु अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस संदर्भ में आवेदक का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
आवेदक अपने वर्तमान डाक पते में परिवर्तन के संबंध में भी आयोग को तत्काल लिखित में सूचना प्रेषित करे।
5. परीक्षा के समय परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के अनुशासनिक व प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे। अनुचित साधन का उपयोग या उपयोग करने का प्रयास, धोस डपट देना, शारीरिक क्षति पहुँचाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/अधिकारियों के निर्देशों की अवमानना करना, दुर्व्यवहार, अपशब्दों का उपयोग, अशिष्ट आचरण, आदि को दण्डनीय माना जायेगा ।
6. परीक्षा परिसर तथा साक्षात्कार कक्ष में मोबाईल फोन या अन्य संचारी यंत्र वर्जित है ।
7. उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर ले कि सभी स्थानों अर्थात् उनके आवेदन पत्र, परीक्षा हाल में उपस्थिति सूची पर तथा आयोग के साथ किये गये समस्त पत्र व्यवहार में उनके द्वारा किये गये हस्ताक्षर एक समान होने चाहिए । इनमें किसी

भी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिये यदि विभिन्न स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षरों में कोई अंतर पाया जाता है तो आयोग द्वारा उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है ।

3 आवेदन की अंतिम तिथि

ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि **13.02.2015** है । अंतिम तिथि को **रात्रि 12:00** के बाद आवेदन पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जायेगी।

4 आवेदक को ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ कोई प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है । साक्षात्कार के समय निम्न प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा –

आयु संबंधी प्रमाण के लिये— केवल हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी अथवा मैट्रिक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिनमें जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख हो ।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र—हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी तथा उसके बाद की उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है । समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंकसूचियाँ ।

जाति के प्रमाण पत्र—

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो की मध्य प्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के अधिकृत है अथवा उच्च अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि आवेदक साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जायेगी जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में आवेदक का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये उसे नस्तीबद्ध किया जायेगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। **विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जायेगा। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया जाति प्रमाण -पत्र मान्य नहीं होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमी लेयर में न आने के प्रमाणन संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। विवाहित महिलायें विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन का शपथ पत्र संलग्न करें।**

विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिला आवेदकों द्वारा सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण-पत्र ।

कार्यरत/ छुट्टी किये गये शासकीय सेवकों हेतु:— नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र ।

परिशिष्ट-1 की कंडिका—(दो-1) के अर्न्तगत उच्चतम आयु सीमा में छूट के लिये ग्रीनकार्ड ।

परिशिष्ट-1 की कंडिका—(दो-2) के अर्न्तगत आयु सीमा में छूट के लिये शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र।

परिशिष्ट-1 की कंडिका—(दो-3) के अर्न्तगत आयु सीमा में छूट के लिये विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण पत्र ।

महत्वपूर्ण टीप :- उपरोक्त में से आवेदक द्वारा प्रस्तुत सत्यापित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

5. नियोक्ता की अनापत्ति

जो व्यक्ति पहले से शासकीय सेवक है तथा स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिये विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी हो, अथवा जो लोक सेवा उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिचयन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि, उन्होंने इस परीक्षा के लिये आवेदन किया है । उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिये आवेदन करने/परीक्षा में बैठने के संबंध में अनुमति रोकने हुये कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी ।

6 अनुशासनिक निर्देश

ऐसे आवेदक को अपराधिक अभियोजन के लिये दोषी ठहराया जायेगा जिसे आयोग से निम्नलिखित के लिये दोषी पाया गया हो –

- 01 जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए ऑनलाइन परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो;
- या
- 02 प्रतिरूपण किया हो; या
- 03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या
- 04 कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या
- 05 ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिनमें चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छिपायी हो; या
- 06 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो; या
- 07 परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो; या
- 08 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; या
- 09 उनके द्वारा प्रवेश पत्र में उम्मीदवारों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या अन्य निर्देशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो; या
- 10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

आपराधिक अभियोजन के लिये उसे उत्तरदायी ठहराने के अलावा :-

- (क) आयोग द्वारा उसे उस परीक्षा के लिये, जिसके लिये वह उम्मीदवार है निरर्ह ठहराया जा सकेगा और/ या
- (ख) उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिये -
- (एक) आयोग द्वारा, ली गयी किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से ;
- (दो) राज्य शासन द्वारा उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा; और
- (ग) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हों तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग से अनुसंशा प्रेषित की जाएगी।

7. अनर्हताएँ:-

ऐसे आवेदकों के आवेदन पत्र निरस्त किए जाएंगे जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है ।

8. प्रवेश पत्र

01 किसी भी उम्मीदवार को ऑनलाइन परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा । जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र न हो ।

02 अर्हताधारी आवेदक अपने प्रवेश पत्र www.mponline.gov.in अथवा www.mppsc.com या www.mppsc.nic.in से डाउनलोड कर सकेंगे, पृथक से प्रवेश पत्र नहीं भेजे जायेंगे। परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक **10.07.2015** से **31.07.2015** तक www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर उपलब्ध रहेंगे । प्रवेश पत्र डाउनलोड करने हेतु आवेदक को वेबसाइट में विहित स्थान पर उसके आवेदन पत्र क्रमांक तथा जन्म तिथि की प्रविष्टि करनी होगी । एम. पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से प्रवेश पत्र प्राप्ति हेतु 5 रुपये पोर्टल शुल्क देय होगा ।

03 यदि प्रवेश पत्र प्राप्त करने में कोई समस्या आती है तो आयोग से निम्न पते पर संपर्क करें ।

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेंसी क्षेत्र , इन्दौर
Ph. (0731) 2701624, 2701983

एम पी ऑनलाइन लिमिटेड, निरुपम शॉपिंग माल, द्वितीय तल, अहमदपुर, होशंगाबाद रोड, भोपाल-422026,
फोन (0755) दूरभाष क्रमांक (0755) 4019401-4019406, काल सेंटर- 155343 (टोल फ्री)
तकनीकी समस्या के लिए : बिनोय एम. जॉर्ज (0755) 4019410

9 अत्यंत महत्वपूर्ण: आवेदक कृपया ध्यान रखें कि परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश पत्र के साथ निम्न मान्य फोटो युक्त पहचान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं उससे पहचान की पुष्टि होने के पश्चात ही परीक्षा देने की अनुमति मिलेगी :-

- | | |
|---------------------|--|
| 1 पासपोर्ट | 5 आधार कार्ड |
| 2 मतदाता पहचान पत्र | 6 शासकीय सेवक के मामले में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र |
| 3 ड्रायविंग लायसेंस | 7 बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस की फोटोयुक्त पासबुक |
| 4 पैन कार्ड | 8 शैक्षणिक संस्थान द्वारा अधिकतम तीन वर्ष पूर्व तक जारी परिचय पत्र |

परीक्षा में सफल आवेदकों को साक्षात्कार के समय भी फोटोयुक्त पहचान पत्र की मूल प्रति तथा एक स्वप्रमाणित छायाप्रति लेकर साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना है । फोटो परिचय पत्र द्वारा आवेदक की पहचान की पुष्टि न होने पर आवेदक को परीक्षा/ साक्षात्कार देने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी ।

10. ऑनलाइन परीक्षा की पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश

01. ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम केवल "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर प्रकाशित किया जायेगा तथा आवेदकों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेखित E-mail Address तथा Mobile Number पर E-mail तथा SMS Alert द्वारा सूचित किया जाएगा। । आवेदक को उसके परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जायेगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जायेगा।

02. परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनायें प्रकाशित की जायेंगी । अतः सफल आवेदक उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार से संबंधित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमें प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in , www.mppsc.com पर उपलब्ध कराये गये अनुप्रमाण पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक एवं उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करके आवश्यक पूर्तियों के पश्चात एवं सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न कर, परीक्षा परिणाम में उल्लेखित साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा करें ।

03 साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक अभिलेख जमा न करने पर आवेदक की

उम्मीदवारी स्वयंमेव समाप्त हो जायेगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में आवेदक को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जायेगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किये नस्तीबद्ध किया जायेगा ।

11. यात्रा व्यय का भुगतान —

- 01 मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासियों को जो कहीं सेवारत न हो तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेखित वर्तमान पते के शहर/ग्राम से उन्हें आवंटित परीक्षा शहर तक आने जाने के यात्रा व्यय का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जायेगा । आवेदकों को इसके लिये केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना होंगे:—
- (1) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति ।
- (2) यात्रा टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी, तथा किराये की राशि का स्पष्टतः उल्लेख हो ।
- 02 साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले आवेदकों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा दिया जायेगा ।

उप सचिव